

28/11/19 पत्रावली पेश हुई। आज पा.आ.
 अतः पत्रावली
 अतः दिनांक 29-11-2019
 को पेश करेंगे

29/11/19 पत्रावली पेश हुई। आवेदक एवं वकील आवेदक
 अनुपस्थित। आवेदक एवं वकील आवेदक को
 बार-बार- रुक-रुक कर कानून अगसाई
 गई परन्तु आवेदक एवं वकील आवेदक उपर
 न्यायालय नहीं होने से स्पष्ट होता है कि आवेदक
 पुराने में रुकावट है। कानून पूर्णतया मजबूत
 वाजरी एवं कानून के अन्तर्गत किमा जाया
 है कि पत्रावली जैसा हुआ होकर दर्ज
 है कि तया बाद तकतीस जप्ला वाकिस
 है कि किम न्यायालय में सुनाना गया

